नई समानता, स्थायी परिवर्तन

लेखक- ए सूर्य प्रकाश (पूर्व अध्यक्ष, प्रसार भारती)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

6 अगस्त, 2020

''जैसा कि दोनों संघ शासित प्रदेशों में मूलभूत परिवर्तन देखे गए हैं, ये हमें कांग्रेस के नेतृत्व की बड़ी विफलता की याद दिलाते हैं, जिसमें इन गलतियों को सुधारने के लिए साहस और आत्मविश्वास की कमी थी।''

5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे की निरस्तता और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख- में बदलने की पहली वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया जाता है। लेकिन इस सब से अधिक, यह इसलिए भी अधिक मायने रखता है क्योंकि इस दिन सात दशकों से एक वर्ग द्वारा अपनाये गये शर्मनाक, भेदभावपूर्ण और अलोकतांत्रिक नीतियों का अंत हुआ।

एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जैसे प्रावधानों को निरस्त करते हुए एक राजनीतिक प्रहार को निष्पादित किया, जिसके साथ यह सुनिश्चित किया गया कि जिस प्रकार पूरे देश में नागरिकों के लिए जो अधिकार और विशेषाधिकार दिए गये हैं वो जम्मू और कश्मीर में सभी को मिल सके।

पिछले 12 महीनों में किए गए बदलावों को देखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले सभी लोगों को भारत के संविधान में अंत: स्थापित समानाधिकारवादी सिद्धांतों का लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विकास सामाजिक और राजनीतिक समानता, शिक्षा, नौकरियों, आरक्षण और अन्य अधिकारों जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला तक विस्तारित हैं, जो देश के बाकी हिस्सों में वंचितों को प्राप्त है।

यह वास्तव में सराहनीय बात है कि सरकार ने इन सब सुविधाओं को 12 महीनों के भीतर मुहैया कारने में सफलता हासिल की है। सात दशकों के बाद पहली बार, भारतीय संविधान और सभी 890 केंद्रीय कानून पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू और कश्मीरमें 170 अन्य केंद्रीय कानूनों को लागू करना है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1954, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक कानून (वन अधिकार अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, और बच्चों के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का अधिकार शामिल है।

इस परिस्थिति में हमें यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि इससे पहले जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस, वाम दलों और राज्य दलों के नेतृत्व ने ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने की अनुमति क्यों नहीं दी जिससे इन सभी वर्षों में दलितों और अन्य वंचित समूहों की रक्षा हो सकती। एक और भेदभावपूर्ण कानूनी प्रावधान, जो जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को उनके अधिकारों को बनाए रखने से रोकता है, अगर वे राज्य के बाहर शादी करती हैं।

तत्कालीन राज्य में लगभग 10,000 नगरपालिका कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों) से किया गया वर्ताव भी समान रूप से शर्मनाक था। उन्हें नागरिकता, शिक्षा और नौकरियों से वंचित कर दिया गया। अब, सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ नगरपालिका कार्यकर्ता केंद्र शासित प्रदेश में वैध अधिवास बन गए हैं और अन्य राज्यों की तरह दलितों और आदिवासी समुदायों को उनका हक मिल गया है। अब सवाल उठता है कि इन सभी वर्षों में स्वतंत्र, लोकतांत्रिक भारत में ऐसा भेदभाव कैसे हो सकता है? नेहरू-गांधी, अब्दुल्ला, मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट और उनके साथियों के लिए क्या स्पष्टीकरण होगा?

इन सब के अलावा, पिछले 12 महीनों में कई अन्य महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। इनमें से पहला कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास है,जिन्हें 30 साल पहले घाटी से आतंकवादियों ने बाहर निकाल दिया था। हिंदू अल्पसंख्यक से संबंधित लगभग चार लाख कश्मीरियों की जातीय सफाई भारत की धर्मनिरपेक्ष साख पर धब्बा बनी रही। बीते साल में, उनमें से 4,000 को केन्द्र शासित प्रदेश में नौकरी मिली है और कई अन्य रोजगार के लिए सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, पश्चिमी पाकिस्तान से 20,000 से अधिक शरणार्थी, जिन्हें अपने ही देश में बाहरी माना जाता था और सभी अधिकारों से वंचित किया गया था, उन्हें प्रति परिवार 5.50 लाख रुपये की अधिवास सहायता और आर्थिक सहायता दी गई है।

दो केंद्र शासित प्रदेशों के संविधान के बाद अनुवर्ती कार्रवाई तीव्र हो गई है। अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरल नियम तैयार किए गए हैं– जिससे सभी को समान अवसर मिलेगा। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थानीय सरकार में 10,000 रिक्त पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है; साथ ही 25000 पदों को भरने के लिए एक और अभियान चलाया जायेगा। अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे रोजगार प्राप्त करने के लिए पिछड़े वंचित समूहों को सक्षम करने के लिए भी संशोधित नियम हैं।

अन्य उपाय, जिसने इस क्षेत्र की मुख्यधारा को सुनिश्चित किया है, वे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की 18 वीं खंडपीठ का गठन।

लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है। तत्कालीन राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों इस क्षेत्र में भेदभाव के कारण यह अपरिहार्य लग रहा था। केंद्र सरकार ने लद्दाख को विकास की राह पर लाने के लिए अनगिनत उपाय शुरू किए हैं। इसमें दोनों संघ शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम शामिल है।

एक साल पहले, सीपीएम ने निरस्तीकरण को "लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संविधान पर हमला" के रूप में वर्णित किया। राहुल गांधी का कथन था कि "राष्ट्र अपने लोगों द्वारा बनाया जाता है, न कि भूमि के भूखंड द्वारा"। वास्तव में यदि ऐसा है तो क्या कश्मीरी पंडित, दलित, आदिवासी, नगरपालिका के कार्यकर्ता, लोग नहीं हैं?

जैसा कि दोनों संघ शासित प्रदेशों में मूलभूत परिवर्तन देखे गए हैं, वे हमें कांग्रेस के नेतृत्व की राक्षसी विफलता की याद दिलाते हैं, जिसमें इन गलतियों को सुधारने के लिए साहस और आत्मविश्वास की कमी थी। परिणामस्वरूप, जम्मू और कश्मीर भारत की उदार, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक परंपराओं से दूर हो गया। लेकिन वह अब अतीत की बात है। अब नई शुरुआत का जश्न मनाने का समय आ गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद-35A एवं अनुच्छेद-370 द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए-

1. अनुच्छेद-35A को मई, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
2. अनुच्छेद-370 के अनुसार, ससंद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषयमें कानून बनाने का अधिकार है।
3. इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद-356 लागू नहीं होता।

उपर्युक्त में से कौन-से/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Jammu and Kashmir has been provided thes pecial state status through article-35A andarticle-370 of the Constitution. In this context, consider the following statements-

1. Article-35A was added to the constitution by theOrder of the President in 1954.
2. According to article-370, the Parliament has the right to make laws on the subjects of defence,foreign affairs and communication of the Jammu and Kashmir.
3. Due to this special status, article-356 doesn't applyto the state of Jammu and Kashmir.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. देश के संघीय रचना पर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के निरस्तीकरण के प्रभावों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

Q. Critically examine the effect of abrogation of Article 370 and Article 35A on the federal fabric of the country. (250 words)

GS WORLD